

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 09 अक्टूबर, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :—

खरीफ विपणन वर्ष 2026—27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति का निर्धारण

मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2026—27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

भारत सरकार ने धान का एम०एस०पी० 2,441 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड—ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया। गत वर्ष की तुलना में यह 03 प्रतिशत की वृद्धि है। खरीफ विपणन वर्ष 2026—27 के अन्तर्गत धान क्रय अवधि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 अक्टूबर, 2026 से 15 फरवरी, 2027 तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 01 नवम्बर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक निर्धारित है।

कुल 08 क्रय एजेन्सियों—खाद्य विभाग, पी०सी०एफ०, पी०सी०यू०, यू०पी०एस०एस०, मण्डी परिषद एवं मण्डी परिषद से सम्बद्ध एफ०पी०ओ०/एफ०पी०सी०, एन०सी०सी०एफ०, नैफेड तथा भारतीय खाद्य निगम से 4,500 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। क्रय केन्द्र खुलने का समय प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक निर्धारित रहेगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिलाधिकारी समय में परिवर्तन कर सकेंगे। रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों व स्थानीय अवकाश तथा द्वितीय शनिवार को क्रय केन्द्र खुले रहेंगे।

कृषकों से जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में धान की पैदावार एवं आवक के दृष्टिगत क्रय संस्थाओं के मध्य क्रय केन्द्रों का स्थल आवंटन स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2026—27 में धान क्रय हेतु नामित क्रय एजेन्सियों द्वारा एन०आई०सी० द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर ऑनलाइन धान खरीद की व्यवस्था की जायेगी। कृषकों का पंजीकरण उनके आधार संख्या, भूलेख एवं पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्रेषित ओ०टी०पी० के आधार पर किया जायेगा।

भारत सरकार की एग्रीस्टैक योजना के अन्तर्गत प्रदेश में बनायी गयी किसानों की फॉर्मर आईडी0 (किसान पहचान पत्र) के आधार पर धान क्रय किया जायेगा। इसके लिये विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। धान क्रय केन्द्र हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सम्बन्धित क्रय एजेंसी द्वारा नियमानुसार ई-टेंडर के माध्यम से की जायेगी।

सभी क्रय एजेंसियों द्वारा किसानों से क्रय धान के मूल्य का भुगतान, भारत सरकार के पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात यथासम्भव 48 घण्टे के अन्दर उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जायेगा।

सरकार के निर्देशानुसार पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चिन्हित जनपदों में सी0एम0आर0 हेतु प्रयुक्त बोरों पर क्यू0आर0 कोड के माध्यम से खाद्यान्न के संचरण की ट्रैकिंग एवं बिलिंग की कार्यवाही की जायेगी। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत समस्त जनपदों में अनिवार्य रूप से जी0पी0एस0 युक्त वाहनों के माध्यम से धान क्रय केन्द्रों से सम्बद्ध चावल मिलों तक धान का प्रेषण कराया जायेगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए मोटे अनाज (मक्का, बाजरा एवं ज्वार) की क्रय नीति का निर्धारण

मंत्रिपरिषद ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए मोटे अनाज (मक्का, बाजरा एवं ज्वार) की क्रय नीति निर्धारित की है।

नीति के तहत मक्का का समर्थन मूल्य 2,410 रुपये प्रति कुन्तल, बाजरा का समर्थन मूल्य 2,900 रुपये प्रति कुन्तल, ज्वार (हाइब्रिड) का समर्थन मूल्य 4,023 रुपये प्रति कुन्तल तथा ज्वार (मालदाण्डी) का समर्थन मूल्य 4,073 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मक्का, बाजरा, एवं ज्वार क्रय की अवधि 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2026 तक होगी।

मक्का की खरीद 25 जनपदों में की जाएगी। इसमें जनपद बुलन्दशहर, बदायूँ, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बहराइच, गोण्डा, देवरिया, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, एवं ललितपुर सम्मिलित हैं।

33 जनपदों में बाजरा क्रय किया जाएगा। इसमें जनपद बुलन्दशहर, रामपुर, सम्भल, अमरोहा, बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, जालौन, चित्रकूट एवं हमीरपुर शामिल हैं।

ज्वार की खरीद 13 जनपदों—उन्नाव, हरदोई, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, मिर्जापुर, झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट में की जाएगी।

क्रय केन्द्र मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे जहाँ मक्का, बाजरा एवं ज्वार की अच्छी आवक होती है एवं खरीद की अच्छी सम्भावना हो। मक्का के 75 क्रय केन्द्र, बाजरा के 300 क्रय केन्द्र एवं ज्वार के 80 क्रय केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 हेतु प्रदेश में मक्का क्रय का 15 हजार मीट्रिक टन, बाजरा का 2.20 लाख मीट्रिक टन एवं ज्वार का 50 हजार मीट्रिक टन कार्यकारी लक्ष्य प्रस्तावित है।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मक्का, बाजरा एवं ज्वार क्रय हेतु नामित एजेन्सी, एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर ऑन-लाइन मक्का, बाजरा एवं ज्वार क्रय

की प्रक्रिया को अपनाएगी। क्रय केन्द्रों पर किसानों से मक्का, बाजरा एवं ज्वार खरीद कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड के आधार पर की जायेगी।

खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट www.fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकृत किसानों से क्रय केन्द्र पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइण्ट ऑफ परचेज मशीन (ई-पॉप) के माध्यम से उनका बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण करते हुए मक्का, बाजरा एवं ज्वार की खरीद की जायेगी।

क्रय एजेन्सियों द्वारा किसानों से क्रय किये गये मक्का, बाजरा एवं ज्वार के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंकड व एन0पी0सी0आई0 से मैण्ड बैंक खातों में भारत सरकार के पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से बैंक खाता सत्यापन के पश्चात यथासम्भव 48 घण्टे के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जायेगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026–27 में 02 निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल वितरित किये जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद् ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026–27 में 02 निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल वितरित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

विगत वर्षों की भांति वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश में दो चरणों में (दीपावली तथा होली पर्व) पर उज्ज्वला लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल वितरित किये जाएंगे। प्रदेश सरकार के जनकल्याणकारी कदम से लाभार्थियों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

योजना के लाभार्थियों को प्रथम बार में अक्टूबर से दिसम्बर, 2026 तक तथा द्वितीय बार में जनवरी से मार्च, 2027 तक निःशुल्क सिलेण्डर प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 2142.78 करोड़ रुपये का व्ययभार आयेगा। ऐसे लाभार्थी, जिनके बैंक खाते आधार लिंकड होंगे तथा जिनके आधार प्रमाणित होंगे, वही इस योजना के लिए पात्र होंगे।

सर्वप्रथम उपभोक्ता अपने स्तर से उपभोक्ता दर के अनुसार भुगतान कर रिफिल प्राप्त करेगा। इसके 04 से 05 दिन के उपरान्त इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सब्सिडी उसके आधार प्रमाणित खाते में तेल विपणन कम्पनी द्वारा अन्तरित की जाएगी। इस निर्णय से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से आच्छादित लाभार्थियों का जीवन-यापन सुविधाजनक होगा।

प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को वर्तमान में प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जा रही 02 साड़ियों के अलावा 01 अतिरिक्त साड़ी प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को वर्तमान में प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जा रही 02 साड़ियों के अलावा 01 अतिरिक्त साड़ी प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रदेश में स्वीकृत 1,90,145 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु 1,90,145 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं 1,90,145 आंगनबाड़ी सहायिका के पद स्वीकृत हैं। अतः कुल 3,80,290 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को साड़ी उपलब्ध करायी जाएगी। एक अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराने के लिए 500 रुपये प्रति साड़ी की दर से राज्य सरकार पर 19 करोड़ 01 लाख 45 हजार रुपये का व्ययभार आएगा।

वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को वर्ष में 02 साड़ियां वर्दी के रूप में उपलब्ध करायी जाती हैं। उक्त 02 साड़ियां नियमित वर्दी की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, किन्तु कार्य की वर्तमान प्रकृति एवं मैदानी परिस्थितियों को देखते हुए एक अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराया जाना व्यावहारिक रूप से आवश्यक है।

भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास योजना एक शीर्ष कार्यक्रम है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 14 से 18 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं (केवल आंकाक्षात्मक जनपदों हेतु) को अनुपूरक पुष्टाहार प्रदान किया जाता है।

आंगनबाड़ी सेवाओं को प्रदान करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिकाओं की केन्द्रीय भूमिका होती है। उक्त भूमिका के निर्वहन में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को निर्धारित वर्दी उपलब्ध करायी जाती है।

सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

ज्ञातव्य है कि राज्य के औद्योगिक तंत्र में लगभग 99 प्रतिशत एम0एस0एम0ई0 उद्यम हैं, जिनकी संख्या लगभग 96 लाख है, जो कि देश की कुल एम0एस0एम0ई0 की संख्या (लगभग 677 लाख) का 14.2 प्रतिशत है। प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में एम0एस0एम0ई0 का योगदान लगभग 60 प्रतिशत तथा निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत है। एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में लगभग 03 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं।

राज्य में उद्यमों के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल की उपलब्धता, व्यापक स्तर पर प्लेसमेण्ट हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र स्थापित किये जाने की परिकल्पना की गयी है। इसके माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्र के युवाओं को आवश्यक कौशल विकास प्रशिक्षण एवं प्लेसमेण्ट सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए उन्हें स्थानीय, अन्य प्रदेशों एवं विदेशों में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा जायेगा।

सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना की स्थापना एवं विकास 10 एकड़ से 25 एकड़ तक की भूमि पर किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों को आच्छादित करते हुए 09 जोन में हब एवं स्पोक मॉडल पर आधारित औद्योगिक और कौशल विकास ईको-सिस्टम विकसित किया जायेगा।

जोन-1 में जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, जोन-2 में सहारनपुर मण्डल एवं जनपद बुलन्दशहर, बागपत, मेरठ, जोन-3 में मुरादाबाद एवं बरेली मण्डल, जोन-4 में आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल, जोन-5 में लखनऊ एवं अयोध्या मण्डल, जोन-6 में कानपुर एवं प्रयागराज मण्डल, जोन-7 में चित्रकूट, विंध्याचल एवं झांसी मण्डल, जोन-8 में वाराणसी एवं आजमगढ़ मण्डल तथा जोन-9 में गोरखपुर, बस्ती एवं देवीपाटन मण्डल सम्मिलित हैं। आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में जोन की संख्या एवं आच्छादित क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी की अनुमति से परिवर्तन किया जा सकेगा।

प्रदेश की युवा शक्ति को औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने तथा स्थानीय एवं वैश्विक मांग के अनुरूप स्किल गैप दूर करने हेतु गुणवत्तापूर्ण कौशल

विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा। रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप, विभिन्न राज्यों एवं विदेशों में उपलब्ध अवसरों के आधार पर आवश्यकता आधारित देशी एवं विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

विभिन्न उद्योगों, बाजार क्षेत्रों एवं विभागों की मानव संसाधन आवश्यकताओं का आकलन एवं मानचित्रण कर रोजगार एवं प्लेसमेण्ट अवसरों का सृजन एवं संवर्द्धन किया जायेगा। देश एवं विदेश में प्लेसमेण्ट हेतु मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। भवन में सेवायोजन कार्यालय का विस्तार/सह कार्यालय/प्लेसमेण्ट सेल हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षुओं के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

जनपद भदोही का नाम परिवर्तित कर संत रविदासनगर भदोही किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने जनपद भदोही का नाम परिवर्तित कर संत रविदासनगर भदोही किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि जनपद भदोही में भारतीय संत परम्परा के महत्वपूर्ण संत एवं समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित सन्त शिरोमणि गुरु रविदास जी द्वारा किये गये सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान के दृष्टिगत उनकी स्मृति एवं सम्मान में जनपद भदोही का नाम परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। जनपद भदोही का नाम संत रविदासनगर भदोही होने से जनपद की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक पहचान प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त होगी।

राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालय से बी०ए०एम०एस०/ बी०यू०एम०एस०/ बी०एच०एम०एस० परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को रोटेटिंग इन्टर्नशिप के दौरान दिये जाने वाले इन्टर्नशिप भत्ते को 7,500 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,000 रु० प्रतिमाह करने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद् ने राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालय से बी०ए०एम०एस०/ बी०यू०एम०एस०/ बी०एच०एम०एस० परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को रोटेटिंग इन्टर्नशिप के दौरान दिये जाने वाले इन्टर्नशिप भत्ते को 7,500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों / संस्थानों/ विश्वविद्यालय से बी०ए०एम०एस० / बी०यू०एम०एस० / बी०एच०एम०एस० परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को रोटेटिंग इन्टर्नशिप करना अनिवार्य होता है।

इन्टर्नशिप के दौरान छात्रों द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों/ संस्थानों/ विश्वविद्यालय में रोगियों के उपचार में चिकित्सकीय सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ प्रतिदिन वॉर्ड, ओ०पी०डी० एवं रात्रि ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया जाता है।

प्रदेश के होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सालयों में बी०एच०एम०एस० के इन्टर्नशिप करने वाले छात्रों को शासनादेश संख्या-2435/71-3-2010-529/90, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा तथा प्रदेश के आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सालयों में बी०ए०एम०एस०/बी०यू०एम०एस० के इन्टर्नशिप करने वाले छात्रों को शासनादेश संख्या-2436/71-3-2010-529/90, दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा अनुमन्य इन्टर्नशिप भत्ता 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से होम्योपैथी के 976, आयुर्वेद के 588 तथा यूनानी के 150 इन्टर्नशिप छात्र-छात्राओं को लाभ प्राप्त होगा।

‘उ0प्र0 स्टार्टअप क्रय योजना–2026’ स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना–2026’ को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति–2026 के उद्देश्यों के अनुरूप पात्र स्टार्टअप्स द्वारा बाजार तक पहुंच में सुधार करने तथा शासकीय विभागों एवं अभिकरणों इत्यादि द्वारा नवोन्मेषी स्टार्टअप समाधानों को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए यह योजना प्रस्तावित की गयी है। योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन नोडल एजेंसी होगा।

योजना के अन्तर्गत पात्र स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवोन्मेषी उत्पादों, सेवाओं एवं समाधानों की सूचीबद्धता एवं सरकारी क्रय हेतु समर्पित “यूपी स्टार्टअप ई–मार्केटप्लेस” की स्थापना का प्रावधान किया गया है। क्रय करने वाले विभागों द्वारा नवोन्मेषी उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय अपनी स्वीकृत बजटीय व्यवस्थाओं से किया जायेगा। यू0पी0 स्टार्टअप ई–मार्केटप्लेस की स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन द्वारा किया जायेगा।

योजना की अधिसूचना के उपरान्त उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन द्वारा योजना का कार्यान्वयन निरन्तर रूप से किया जायेगा। इससे राज्य के स्टार्टअप्स को शासकीय बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी तथा शासकीय विभागों द्वारा नवोन्मेषी उत्पादों, सेवाओं एवं तकनीकी समाधानों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

नवोन्मेषी तकनीकी समाधानों के व्यापक उपयोग से शासकीय सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता एवं सुगमता में वृद्धि होगी। इससे जनसामान्य को बेहतर, प्रभावी एवं सुलभ सेवा वितरण का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। साथ ही, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत पंजीकृत पात्र नवप्रवर्तनशील उद्यमों को शासकीय विभागों से कार्यादेश प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होंगे।

स्टार्टअप्स हेतु शासकीय क्रय अवसर उपलब्ध होने से उनके व्यावसायिक विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा। परिणामस्वरूप राज्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

उ0प्र0 आर्टिफिशियल इण्टेलीजेंस मिशन (UP-AIM) की स्थापना, क्रियान्वयन एवं संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इण्टेलीजेंस मिशन (UP-AIM) की स्थापना, क्रियान्वयन एवं संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

यू0पी0 ए0आई0 मिशन का उद्देश्य प्रदेश को आर्टिफिशियल इण्टेलीजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने, ए0आई0 आधारित गवर्नेन्स को बढ़ावा देने तथा राज्य में ए0आई0 आधारित इनोवेशन, रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

यू0पी0 ए0आई0 मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2026–27 से वर्ष 2030–31 तक 2,000 करोड़ रुपये का वित्तीय प्राविधान प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु 225 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

आगामी वर्षों में आवश्यक धनराशि का प्राविधान वार्षिक बजट एवं स्वीकृत परियोजनाओं के अनुसार किया जाएगा। भारत सरकार के इण्डिया ए0आई0 मिशन सहित अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ वित्तीय एवं तकनीकी समन्वय भी सुनिश्चित किया जाएगा।

मिशन के क्रियान्वयन से राज्य में ए0आई0 आधारित गवर्नेन्स, नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता एवं दक्षता में वृद्धि, डेटा-संचालित डिजीजन सपोर्ट सिस्टम का विकास, ए0आई0 स्टार्ट-अप एवं इनोवेशन ईको-सिस्टम का सुदृढ़ीकरण, रिसर्च एवं निवेश को प्रोत्साहन तथा व्यापक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर सृजित होंगे। इससे उत्तर प्रदेश वर्ष 2031 तक देश के अग्रणी ए0आई0 राज्यों में स्थापित होगा।

यू0पी0 ए0आई0 मिशन को कार्यदायी सोसाइटी के रूप में नामित किया जाएगा, जो मिशन के संचालन, समन्वय, अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगी। यह संस्था आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अन्तर्गत कार्य करेगी।

मिशन के अन्तर्गत यू0पी0 ए0आई0 स्टैक, ए0आई0 कम्प्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर, ए0आई0 शक्ति ग्रिड, फेडरेटेड डेटा एक्सचेंज (यू0पी0 ए0आई0 डेटा सेतु) तथा अन्य साझा ए0आई0 डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे। इससे विभिन्न विभाग ए0आई0 आधारित सॉल्यूशन्स का सुरक्षित, मानकीकृत एवं स्केलेबल विकास एवं क्रियान्वयन कर सकेंगे।

राज्य में ए0आई0 रिसर्च एवं इनोवेशन को प्रोत्साहित करने हेतु ए0आई0 रिसर्च केन्द्र, ए0आई0 विज्ञान निधि, एच0पी0सी0 इनोवेशन सेण्टर तथा ए0आई0आई0डी0ई0—सी0ओ0ई0 की स्थापना एवं सुदृढीकरण किया जाएगा।

मिशन के तहत सरकारी विभागों में ए0आई0 आधारित यूज केसेज की पहचान, विकास, पायलट परीक्षण एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जाएगा। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर विकास, परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, पुलिसिंग एवं सोशल वेलफेयर जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ए0आई0 आधारित सॉल्यूशन्स विकसित किए जाएंगे।

मिशन के प्रभावी जनपद स्तरीय क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद में डिस्ट्रिक्ट ई—गवर्नेन्स सोसायटी के अधीन डिस्ट्रिक्ट ए0आई0 केन्द्र का गठन किया जाएगा, जो जिला प्रशासन एवं यू0पी0 ए0आई0 मिशन के मध्य नोडल इकाई के रूप में कार्य करेगा।

ए0आई0 आधारित मानव संसाधन विकसित करने हेतु ए0आई0 स्किलिंग एवं कैपासिटी बिल्डिंग कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। ए0आई0 प्रज्ञा, मुख्यमंत्री ए0आई0 फैलोशिप, नाइलिट के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा क्रेडिट लिंकड ए0आई0 कोर्सेज के माध्यम से ए0आई0—सक्षम युवाओं का विकास करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उ0प्र0 के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026 स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026 को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिपरिषद ने सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा मॉडल भवन विनियम, 2026 को अंगीकृत एवं क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक निर्देश निर्गत करने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया है कि वर्तमान शासनादेशों, नियमों अथवा भवन विनियमों के अधीन पूर्व से प्रारम्भ की गयी समस्त जांच, प्रवर्तन कार्यवाहियां एवं अन्य विधिक कार्यवाहियां, उनके प्रारम्भ के समय प्रभावी प्राविधानों के अनुसार ही, संचालित एवं निस्तारित की जाएंगी। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026 में भविष्य में किये जाने वाले संशोधनों के अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री जी को अधीकृत किया गया है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने, नगरीय विस्तार, इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं एवं मैनुफैक्चरिंग, आई0टी0/आई0टी0ई0एस0, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य विनिर्माण तथा रियल एस्टेट उपक्रमों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने, विकसित किये जाने योग्य मूल्यवान भूमि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने तथा वर्तमान में प्रचलित भवन/भूखण्ड मानचित्र अनुमोदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया।

परिवर्तित होती परिस्थितियों एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप 'उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026' के क्रियान्वयन से भवन मानचित्र/भूखण्ड अनुमोदन की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी एवं सुगम होगी। इससे व्यवसाय सुगमता को प्रोत्साहन मिलेगा, नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय इकाइयों की उपलब्धता में वृद्धि होगी एवं निजी क्षेत्र के निवेश को गति प्राप्त होगी।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में भवन मानचित्र/भूखण्ड अनुमोदन की प्रक्रिया अधिक सरल, सुव्यवस्थित एवं नागरिक अनुकूल होगी, जिससे जनसामान्य को अधिक सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही, नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय इकाइयों की उपलब्धता बढ़ेगी। सुनियोजित नगरीय विकास एवं निजी क्षेत्र में निवेश वृद्धि के परिणामस्वरूप रियल एस्टेट क्षेत्र में रोजगार सम्भावनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उ0प्र0 सतत् विमानन ईंधन (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल) विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026 स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सतत् विमानन ईंधन (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल) विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति का उद्देश्य भारत में उत्तर प्रदेश को सतत् विमानन ईंधन (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल) मैन्युफैक्चरिंग के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित करना, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, विमानन क्षेत्र में डीकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देना तथा नवाचार, निवेश और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हरित रोजगार के अवसर सृजित करना है।

पर्यावरण को संरक्षित करने में एस0ए0एफ0 (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल) राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने में सहायक है। भारत जैसे देशों में यह पारम्परिक जीवाश्म ईंधनों के आयात पर निर्भरता को कम करने के साथ ही स्थानीय फीडस्टॉक यथा अखाद्य तैलीय बीज, नगरीय अपशिष्ट तथा कृषि-अवशेष के उपयोग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं मूल्य श्रृंखला के निर्माण में योगदान प्रदान करेगा।

सतत् विमानन ईंधन (एस0ए0एफ0) उद्योग तीव्र गति से विकसित हो रहा है। वैश्विक विमानन क्षेत्र अपने कार्बन उत्सर्जन को न्यून करने एवं वैश्विक 'नेट-जीरो' प्रतिबद्धताओं के अनुरूप प्रयत्नशील है।

केन्द्र सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु वर्ष 2027 तक 01 प्रतिशत तथा वर्ष 2028 तक 02 प्रतिशत सतत् विमानन ईंधन (एस0ए0एफ0) के मिश्रण हेतु सांकेतिक लक्ष्य घोषित किए हैं। यद्यपि एस0ए0एफ0 हेतु समर्पित प्रोत्साहन योजना अभी निर्धारण के अधीन है तथा इसके उत्पादन हेतु अनुकूल वातावरण के सृजन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

एशिया में सतत् विमानन ईंधन (एस0ए0एफ0) के क्षेत्र में व्यापक सम्भावनाएं हैं। एशिया में एस0ए0एफ0 की पूर्ण सम्भावनाओं के दोहन तथा इसे क्षेत्रीय सतत् विमानन का आधार-स्तम्भ बनाने हेतु क्षेत्रीय सहयोग, सार्वजनिक-निजी भागीदारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग अत्यन्त आवश्यक है।

सतत् विमानन ईंधन (एस0ए0एफ0) उत्पादन के सर्वाधिक सम्भावनाशील क्षेत्रों में से एक बायोमास आधारित उत्पादन है। इसके अन्तर्गत धान की भूसी, गेहूँ का भूसा तथा

गन्ने की बगास जैसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कृषि अवशेषों का उपयोग पायरोलिसिस एवं गैसीफिकेशन जैसी ताप-रासायनिक रूपान्तरण प्रौद्योगिकियों द्वारा किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश गन्ने की खेती एवं एथेनॉल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यह राज्य में द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधनों तथा एल्कोहल-टू-जेट एस0ए0एफ0 प्रौद्योगिकियों के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। सतत विमानन ईंधन (एस0ए0एफ0) क्षेत्र कृषि अवशेषों की मांग सृजित कर, कृषकों की आय में विविधता लाकर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हरित रोजगार का सृजन कर ग्रामीण जीवन-स्तर के उन्नयन का भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

नीति के तहत एस0ए0एफ0 इकाइयों को 03 श्रेणी-वृहद (पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये तक), मेगा (पूंजी निवेश 500 करोड़ रुपये से 1,500 करोड़ रुपये तक) तथा अल्ट्रा मेगा (पूंजी निवेश 1,500 करोड़ रुपये से अधिक) में वर्गीकृत किया गया है

एस0ए0एफ0 इकाइयों को मुख्यतः स्टाम्प ड्यूटी में छूट एवं प्रतिपूर्ति, भू-उपयोग परिवर्तन प्रभार में छूट, विकास शुल्क में छूट, नेट एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति, ब्याज सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट 10 वर्षों तक, कौशल विकास सब्सिडी, पेटेन्ट पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, कस्टमाइज़्ड पैकेज, उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस) आदि के प्रोत्साहन का प्राविधान किया गया है। भूमि आवंटन किए जाने की दशा में फ्रण्ट-एण्ड भूमि सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

एस0ए0एफ0 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति एवं वितरण हेतु उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0 नेडा) नोडल एजेंसी होगी। एस0ए0एफ0 इकाइयों के आवेदनों के मूल्यांकन हेतु यू0पी0 नेडा के निदेशक स्तर पर एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी।

यह नीति प्रख्यापन की तिथि से आगामी पांच वर्षों की अवधि तक प्रभावी रहेगी अथवा सरकार द्वारा नवीन नीति के प्रख्यापन तक प्रभावी रहेगी।

18 शहरों और इनके समीपवर्ती महत्वपूर्ण कस्बों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर वातानुकूलित ई-बसों के संचालन के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 18 शहरों आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी एवं नोएडा जेवर और इनके समीपवर्ती महत्वपूर्ण कस्बों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर वातानुकूलित ई-बसों को संचालित कराने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया है।

ज्ञातव्य है कि नगरीय परिवहन को व्यवस्थित करने हेतु नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय परिवहन निदेशालय की स्थापना की गई है, जो सिटी बस सेवाओं की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु कार्य करता है। वर्तमान में नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा 15 नगर निगमों में 743 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से 700 इलेक्ट्रिक बसें ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जी0सी0सी0) मोड पर संचालित हो रही हैं। सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जी0सी0सी0) मॉडल पर 18 शहरों में ई-बसों को संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

परियोजना के अन्तर्गत निजी ऑपरेटर द्वारा 18 शहरों में रूटों पर 09 मीटर तथा 12 मीटर के कुल 1725 ए0सी0 ई-बसों का संचालन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि वाणिज्यिक संचालन तिथि (कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट) से 12 वर्ष की होगी।

ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जी0सी0सी0) मॉडल में ऑपरेटर को बसों की खरीद, ई-बस चार्जिंग हेतु आवश्यक चार्जर्स की व्यवस्था, बस चालक एवं संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी कार्मिक उपलब्ध कराने, बसों का संचालन एवं अनुरक्षण कराने का दायित्व होता है। पूर्व-निर्धारित प्रदर्शन मानकों के आधार पर ऑपरेटर को एक निश्चित शुल्क (ओ0 एण्ड एम0 फीस) का भुगतान किया जाता है।

योजना के अन्तर्गत 12 मीटर ई-बस हेतु 40 लाख रुपये एवं 09 मीटर ई-बस हेतु 35 लाख रुपये प्रति बस की दर से अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु डिपो निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार भूमि सम्बन्धित नगर निगमों एवं नोएडा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है। टैरिफ प्रयोक्ता शुल्क निर्धारण सरकार द्वारा किया जायेगा।

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत निजी निवेश से न केवल सरकारी व्यय-भार कम होगा, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार सुनिश्चित होगा, क्योंकि निजी ऑपरेटर

दक्षता, समयबद्धता एवं उपभोक्ता सन्तुष्टि पर विशेष ध्यान देंगे। निजी ऑपरेटरों को प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित किया जायेगा, जिससे नवीनतम तकनीकें एवं सेवा सुधार लागू होंगे। निजी ऑपरेटर निविदा प्रक्रिया से चयनित होकर अनुबन्धित किए जाएंगे और उपभोक्ताओं को सीधा लाभप्राप्त होगा।

नई इलेक्ट्रिक बसों के क्रय के सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित नीति के क्रम में एल-1 के रेट पर उत्तर प्रदेश में निर्मित बसों के क्रय को वरीयता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहन प्राप्त होगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा एवं नवीन रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

**मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के
अन्तर्गत मीरजापुर-विन्ध्याचल एवं मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरणों
की परियोजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृति एवं व्यय प्रस्ताव के सम्बन्ध में**

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मीरजापुर-विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण एवं मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं हेतु सीड कैपिटल की अधिकतम धनराशि 164.87 करोड़ रुपये अनुमन्य की है तथा प्रथम किस्त के रूप में कुल 115 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है।

नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास के साथ-साथ नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 06 अप्रैल, 2023 द्वारा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना लागू है।

योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए दिये जाने का प्राविधान है। नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3,500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद भोगाँव राज्य मार्ग संख्या-84 (चैनेज 25.00 से 61.800 तक घिरोर से भोगाँव) के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 31.300 कि०मी०) तथा घिरोर बाईपास मार्ग (लम्बाई 6.56 कि०मी०) अर्थात् कुल 37.86 कि०मी० लम्बाई के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद भोगाँव राज्य मार्ग संख्या-84 (चैनेज 25.00 से 61.800 तक घिरोर से भोगाँव) के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 31.300 कि०मी०) तथा घिरोर बाईपास मार्ग (लम्बाई 6.56 कि०मी०) अर्थात् कुल 37.86 कि०मी० लम्बाई के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत 32867.26 लाख रुपये (तीन अरब अट्ठाइस करोड़ सठसठ लाख छब्बीस हजार रुपये) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है।

उ0प्र0 ब्याज माफी योजना-2026 लागू किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

उ0प्र0 बिक्री कर अधिनियम-1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 एवं इसके अधीन निर्मित नियमावली मनोरंजन कर, उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम-1995, उ0प्र0 केबिल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली-1997, उ0प्र0 प्रवेश कर अधिनियम-2007 एवं उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक के सृजित बकायों के ब्याज एवं अर्थदण्ड को माफ किये जाने हेतु ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।

प्रस्तावित निर्णय से प्रदेश के अनेक आमजन/छोटे और मझोले व्यापारियों के वर्षों से लम्बित देय बकाया धनराशि के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सम्भव हो सकेगा।

लखनऊ की वृन्दावन योजना में एकीकृत सिटी बस टर्मिनल और वाणिज्यिक क्षेत्र सुविधाओं का निर्माण कराये जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने लखनऊ की वृन्दावन योजना में एकीकृत सिटी बस टर्मिनल और वाणिज्यिक क्षेत्र सुविधाओं का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया है। यह निर्माण कार्य वृन्दावन योजना की पी-4 पार्किंग में पी0पी0पी0 मोड पर कराया जाएगा।

परियोजना की अनुमानित लागत 265 करोड़ रुपये है, जिसमें से बस टर्मिनल सुविधा के लिए अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपये तथा व्यावसायिक सुविधा के लिए अनुमानित लागत 205 करोड़ रुपये आकलित है। भूमि की लागत इसमें सम्मिलित नहीं है। परियोजना का कुल क्षेत्रफल 07 एकड़ से अधिक है।

विकासकर्ता को बस टर्मिनल का रख-रखाव 35 वर्ष तथा वाणिज्यिक सुविधाओं से सम्बन्धित अवस्थापनाओं का रख-रखाव 90 वर्ष तक करना होगा। विकासकर्ता को डिजाइन, ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन की अंतिम मंजूरी नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा दी जाएगी। विकासकर्ता द्वारा बस टर्मिनल के तहत निर्माण कार्य करा कर, उसे नगरीय परिवहन निदेशालय को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जाएगा। बस टर्मिनल व सहायक सुविधाओं के संचालन और प्रबन्धन की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

वर्तमान में लखनऊ शहर में 116 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन दुबग्गा डिपो से कराया जा रहा है। उसके अतिरिक्त लखनऊ शहर हेतु 300 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लखनऊ शहर में प्रस्तावित नगरीय ई-बसों के संचालन के लिए कोई अतिरिक्त समर्पित टर्मिनल नहीं है।

पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत एच0-1 निविदादाता के चयन का अनुमोदन प्रदान किया गया है। विकासकर्ता द्वारा एकीकृत बस टर्मिनल के अन्तर्गत बस-वे, बस पार्किंग क्षेत्र, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, मरम्मत सुविधाओं, स्टाफ विश्राम कक्ष, प्रशासनिक और लेखा कार्यालय, सुरक्षा कक्ष इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। यात्री सुविधाओं के अन्तर्गत टिकट काउन्टर, सूचना केन्द्र/पूछताछ केन्द्र, यात्री प्रतीक्षा क्षेत्र, विश्राम/प्रतीक्षा कक्ष, सामान रखने के कक्ष इत्यादि का निर्माण किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, विकासकर्ता द्वारा रेस्तरां, कॉफी शॉप, फास्ट फूड आउटलेट, व्यावसायिक दुकानों, मेडिकल स्टोर, बैंक, ए0टी0एम0 सार्वजनिक शौचालय, वॉटर ए0टी0एम0, टैक्सी/आई0पी0टी0 स्टैंड, सार्वजनिक पार्किंग, अग्निशमन इत्यादि का भी विकास किया जाएगा।

इस प्रकार वृन्दावन योजना, लखनऊ के पी-4 पार्किंग में एकीकृत सिटी बस टर्मिनल के निर्माण से यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टेशनों और टर्मिनलों का विकास होगा। शहरी और उप नगरीय क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ और अधिक कुशल बनेगी। यातायात प्रबन्धन में सुधार होगा एवं जाम से राहत मिलेगी तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी से गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का विकास होगा।

नौसेना शौर्य संग्रहालय के अन्तर्गत नौसेना शौर्य वाटिका (फेज-1) को पर्यटन विभाग से लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने तथा फेज-3 (वॉटर बॉडी) के विकास हेतु लगभग 6.761 एकड़ भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से 01 लाख रु0 के टोकन मनी पर पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने जनपद लखनऊ स्थित नौसेना शौर्य वाटिका (फेज-1) के संचालन, अनुरक्षण, टिकटिंग व्यवस्था एवं पर्यटक सुविधाओं के प्रबन्धन हेतु उक्त परिसम्पत्ति को पर्यटन विभाग से लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया है। नौसेना शौर्य संग्रहालय (फेज-2 : क्यूरेशन एण्ड एक्सपीरियंस सेक्टर) के निर्माण एवं क्यूरेशन कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उसके संचालन, अनुरक्षण एवं पर्यटक प्रबन्धन हेतु उक्त परिसम्पत्ति को पर्यटन विभाग से लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है।

मंत्रिपरिषद ने परियोजना के फेज-3 (वॉटर बॉडी) के विकास हेतु वर्तमान में भूखण्ड संख्या-ई-6 एवं ई-7 (लगभग 6.761 एकड़) की भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से 01 लाख रुपये के टोकन मनी पर पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। उक्त भूमि पर वॉटर बॉडी एवं उससे सम्बन्धित पर्यटन आकर्षणों का विकास किए जाने से परियोजना का समग्र एवं एकीकृत स्वरूप विकसित हो सकेगा।

परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त इसके समेकित संचालन एवं अनुरक्षण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा। नौसेना शौर्य संग्रहालय परियोजना के प्रत्येक फेज के संचालन से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं पर्यटन विभाग के मध्य क्रमशः 80:20 के अनुपात में विभाजन किया जाएगा। परियोजना के विकास से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों एवं अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ-साथ आसपास की परिसम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने की सम्भावना है। इससे लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी प्रत्यक्ष एवं दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा।

परियोजना के प्रथम चरण 'नौसेना शौर्य वाटिका' को पूर्ण किया जा चुका है। रक्षा मंत्री जी भारत सरकार तथा मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण 30 मई, 2026 को किया गया है। पर्यटन के नये आयाम विकसित करने के क्रम में जनपद लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का विकास किया जा रहा है। नौसेना शौर्य संग्रहालय के विकसित होने से लखनऊ को रक्षा-पर्यटन के एक विशिष्ट गंतव्य के रूप में नई पहचान प्राप्त होगी। पर्यटकों के आगमन एवं ठहराव, स्थानीय रोजगार एवं पर्यटन आधारित आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।